

राजस्थान सरकार
निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान, जयपुर
क्रमांक: लेखा-12(विविध-प्रोग्राम)/आं.जां.का./2018/ 5110


दिनांक: 08/01/18

-:आन्तरिक अंकेक्षण संशोधित कार्यक्रम आदेश:-

इस कार्यालय के पत्रांक 4956 दिनांक 22.12.2017 द्वारा जारी अंकेक्षण कार्यक्रम में प्रशासनिक कारणों से आंशिक संशोधन करते हुये निम्नानुसार संशोधित कार्यक्रम निर्धारित किया जाता है:-

| क्र. सं. | अंकेक्षण दल प्रभारी/ सदस्य व जोन का नाम | कार्यालय जिसका अंकेक्षण किया जाना है। | अंकेक्षण लेखाअवधि | से | अंकेक्षण हेतु निर्धारित तिथियां |
|----------|---|---|-------------------|----|---------------------------------|
| 1. | श्री केशव देव मीणा, AAO I आं.जां. द0 द्वि जो0-कोटा मो0 नं0 8619796329 | खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, झालारापाटन | 04/16 | से | 02.01.18 से 08.01.18 |
| | | खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, सांगोद, कोटा | 04/14 | से | 09.01.18 से 24.01.18 |
| 2. | श्री च्यवन सिंह जोरवाल, AAO I जोन-भरतपुर मो0 नं0 9829659634 | खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, कामां, भरतपुर | 04/12 | से | 02.01.18 से 11.01.18 |
| | | सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, मित्रपुरा, (बौली) सवाई माधोपुर | 04/12 | से | 12.01.18 से 24.01.18 |
| | | खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, बामनवास, सवाई माधोपुर | 04/08 | से | 25.01.18 से 20.02.18 |

श्री उत्तम चन्द, सहायक लेखाधिकारी-प्रथम का पूर्व में जारी कार्यक्रम अपरिहार्य कारणों से निरस्त किया जाता है एवं उक्त दोनों जांच दल प्रभारियों को निर्देशित किया जाता है कि संशोधित आदेशानुसार अंकेक्षण कार्य सम्पादित कर जांच रिपोर्ट निर्धारित समय में भिजवाये:-



वित्तीय सलाहकार,
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं,
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: लेखा-12(विविध-प्रोग्राम)/आं.जां.का./2018/

दिनांक:

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सहायक, निदेशक, (जन स्वा0), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जयपुर
2. निजी सहायक, निदेशक (वित्त), एन.आर.एच.एम., जयपुर।
3. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, जोन-कोटा व भरतपुर।
4. खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, झालारापाटन, खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, सांगोद, कोटा, खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, कामां, भरतपुर, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, मित्रपुरा, (बौली) सवाई माधोपुर, खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, बामनवास, सवाई माधोपुर।
5. श्री केशव देव मीणा, सहायक लेखाधिकारी-प्रथम व श्री च्यवन सिंह जोरवाल, सहायक लेखाधिकारी-प्रथम आं0जा0द0 को पालनार्थ प्रस्तुत है।
6. प्रभारी सर्वर रूम को दी जाकर लेख है कि इस आदेश को विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करें।


लेखाधिकारी,
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं,
राजस्थान, जयपुर